न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1066 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.12.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 142/अपील/16-17.

भीम सिंह ठाकुर आ. स्व. श्री बिहारी लाल ठाकुर

निवासी ग्राम खजूरीखुर्द, रायसेन रोड,

तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. परमानंद पाराशर आ. स्व. श्री किशन लाल,
   निवासी ए-55, न्यू मीनाल रेसीडेंसी,
   भोपाल, म.प्र.
3. श्री भूपेन्द्र शर्मा आ. स्व. श्री के.एम. शर्मा,
   निवासी ए-55, न्यू मीनाल रेसीडेंसी,
   भोपाल, म.प्र. ....अनावेदकगण

श्री राकेश गिरि, अभिभाषक, आवेदक

श्री आर.एस. चौधरी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम डोबराजागीर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की वादग्रस्त भूमि में बटान अंकित किये जाने के संबंध में तहसीलदार हुजूर के समक्ष आवेदक द्वारा दिनांक 10.11.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी सहमति के बगैर की गई अक्श बटान संशोधित की जावें। अपर तहसीलदार, वृत्त-2, तहसील हुजूर द्वारा इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर, जिला भोपाल को दिनांक 19.01.2015 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि नक्शा संशोधन पंजी क्रमांक 1 आदेश दिनांक 27.09.2014 द्वारा की गई बटान में पक्षकारों को विधिवत् सूचना या नोटिस तामील न कराते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना की गई कार्यवाही के पुनर्विलोकन की अनुमति दी जावे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.01.2015 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन बटांकन आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.01.2015 के विरूद्ध अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अपील/14-15 दर्ज कर दिनांक 12.12.2015 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित पुनर्विलोकन आदेश 29.01.2015 करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि समस्त प्रभावित व हितबद्ध पक्षकारों को उनके पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया जावे तथा शासकीय अभिलेख से मिलान कर विधिक प्रावधानुसार क्षेत्राधिकार को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया जाये। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 4/पुनर्विलोकन/14-15 दर्ज कर दिनांक 31.03.2017 को नक्शा संशोधन पंजी क्रमांक 1 आदेश दिनांक 27.09.2014 यथावत् स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27.12.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारीएवं अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि वह उनके समक्ष अपनी साक्ष्य अंकित करना चाहता है, ताकि अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिया था कि अधिकतम कृषि जोत अधिनियम के तहत दर्ज किये गये प्रकरण तथा बंदोबस्त पूर्व एवं बंदोबस्त बाद की स्थिति को जांचने के लिए अधिकतम कृषि जोत अधिनियम के तहत वादग्रस्त खसरा नम्बरों के संबंध में चले प्रकरण क्र. 12/अ-90/ब-3/77-78 का प्रकरण बुलाकर. उभय पक्षों को युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत पुनर्विलोकन के संबंध में पुनः

आदेश पारित करें, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 का पालन नहीं किया और न ही उपरोक्त प्रकरण को बुलाया तथा आवेदक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं दिया। इसलिए रिवीजनाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त को इस तथ्य की जांच करना थी कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का पालन अनुविभागीय अधिकारी ने किया है अथवा नहीं। आवेदक ने इस ओर अपीलीय अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराया, उसके बावजूद भी अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य की ओर ध्यान न देते हुए केवल अपने अपीलाधीन आदेश में यह लिखते हुए आदेश पारित किया है कि उक्त आदेश की कोई अपील नहीं की गई, इसलिए उक्त आदेश अंतिम हो गया, जबकि अपर कलेक्टर ने ऐसा कोई निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को नहीं दिया था कि पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी जा सकती, बल्कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि कृषि सीलिंग के समय भूमि की क्या स्थिति थी तथा वर्तमान में क्या स्थिति है, इस संबंध में जांच करने के उपरांत आदेश पारित करना था। इस निर्देश का पालन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। इसलिए उक्त आदेश की अपील अपर आयुक्त के यहां की गई थी। अपर आयुक्त ने उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुए रिवीजनाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर के विरूद्ध आवेदक ने अपील की है, किन्तु उक्त अपील की कोई सुनवाई नियत नहीं की गई और न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही बगैर नोटिस उक्त अपील अदम पैरवी में निरस्त कर दी गई थी, जिसको पुनर्स्थापित कराने हेतु संहिता की धारा 35(3) का आवेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उसके द्वारा प्रस्तुत मूल अपील आयुक्त कार्यालय में नहीं मिल रही है। इस तथ्य की जानकारी आवेदन ने अपर आयुक्त को अवगत कराई थी, परन्तु उन्होंने आवेदक के इस मौखिक तर्क पर भी ध्यान नहीं दिया और यह लिखते हुए कि अपर कलेक्टर के आदेश की अपील नहीं की गई है, इसलिए यह अपील प्रचलन योग्य नहीं है, के आधार पर रिवीजनाधीन आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क भी किया था कि तहसीलदार ने केवल नामांतरण के संबंध में आदेश पारित किया है, जिससे हटकर राजस्व निरीक्षक ने फर्द बटान बनाकर दर्ज कर दी। इसलिए पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना आवश्यक थी, परंतु इस तथ्य को भी अनदेखा करते हुए रिवीजनाधीन आदेश पारित किया है,

(५)

जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक ने लिखित तर्क में यह भी दर्शाया था कि बंदोबस्त त्रुटि के कारण आवेदक का खसरा नम्बर 195 का रकबा0.176 हैक्टैयर कम हो गया है तथा आवेदक का उसी से लगा हुआ दूसरा खसरा जो कि 56 है, बढ़ गया है। इस कारण शासकीय भूमि न होते हुए भी नक्शे में भूमि अधिक होने के कारण खसरा क्र. 56 की बंटान करते हुए जो रकबा बढ़ा हुआ है, उसे शासकीय भूमि दर्ज कर दिया। इस तथ्य को आवेदक अपनी साक्ष्य से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना चाहता था, क्योंकि रिकॉर्ड दुरूस्ति के प्रकरण में यह तथ्य उजागर हुआ है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि संहिता की धारा 49(3) के तहत अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य लेने का अधिकार है। उक्त आवेदन पर भी अपीलीय न्यायालय ने कोई स्पष्ट आदेश न देते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने में घोर वैधानिक त्रुटि की है।

4/ अनावेदक क्र. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) भूमि खसरा क्रमांक 73 जिसका नवीन खसरा नं. 195 है, में कोई बटान नहीं डाली गई है। इसके अलावा भूमि खसरा क्रमांक 56/1/1 में से भी कोई बटान नहीं डाली गई है। उसका निगरानी में उल्लेख होना व्यर्थ है। वास्तविकता यह है कि खसरा क्रमांक 56/1/2 रकबा 0.282 हैक्टेयर स्थित ग्राम डोबरा जागीर शासकीय भूमि में बंटान डाली गई। इससे अनावेदक क्र. 2 व 3 के साथ अन्य आम कृषकों को आने जाने का मार्ग दिया गया। यह भूमि आवेदक के स्वामित्व आधिपत्य की नहीं है और न ही कभी रही है। इस कारण विचाराधीन बटान के संबंध में आवेदक को आपत्ति अथवा पुनर्विलोकन आवेदन पेश करने का हक नहीं है।

(2) आवेदक का यह उल्लेख कि उसके आवेदन पत्र पर अपर तहसीलदार ने पुनर्विलोकन की अनुमति चाही, वास्तविकता यह है कि आवेदक ने पुनर्विलोकन का कोई आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया। अपर तहसीलदार ने स्वयं प्रेरित होकर पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी को भेजा, जो संहिता की धारा 51(1) उप पैरा 3 के अनुसार विधान के विपरीत है। अपर तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्र. 2 व 3 के आपत्ति आवेदन पर विचार किये बिना ही प्रकरण पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु भेजा गया, जो विधि विपरीत है।

(3) अपर तहसीलदार हुजूर के पुनर्विलोकन प्रस्ताव पर प्रथम बार अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण अनावेदक क्र. 2 व 3 की आपत्ति की जांच के लिए वापस भेजा, परंतु अपर तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश का पालन न करते हुए तथ्य आपत्तियों की बिना जांच किये पुन: पुनर्विलोकन का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गयागया, जिस पर अनावेदक क्र. 2 व 3 को बिना सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय रूप से पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई, जो विधि विपरीत थी। प्रकरण अपर तहसीलदार को दिनांक 29.01.2015 को ही प्राप्त हो गया था तथा उसी दिन अपर तहसीलदार ने पंजी क्रमांक 1 द्वारा पारित बटान आदेश अनावेदक क्र. 2 व 3 को बिना सुनवाई के व बिना नोटिस के बटान निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया, जो अवैध था।

(4) आवेदक को अपर कलेक्टर, भोपाल के न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में टिप्पणी करने अथवा उसके संबंध में आपत्ति करने का कानूनी हक इस कारण नहीं है कि अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी या अपील प्रस्तुत नहीं की है। इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका है।

(5) पैरा 7 के संबंध में आवेदक का यह आधार गैर कानूनी है, क्योंकि पुनर्विलोकन के प्रकरण में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकती है और न ही इस संबंध में कानूनी प्रावधान है। पुनर्विलोकन अभिलेख की त्रुटि के आधार पर संहिता की धारा 51(2) के तहत हो सकता है अन्यथा प्रकार से नहीं। उक्त धारा में वर्णित कोई भी आधार इस निगरानी में मौजूद नहीं है।

(6) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आधारों के पैरा 10 के संबंध में लिखे तथ्य सही नहीं है। इस प्रकरण का कोई संबंध नामांतरण प्रकरण से नहीं है। प्रकरण बटान आदेश के पुनर्विलोकन बावत् है। अधीनस्थ न्यायालय व अपर कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति गैर कानूनी निरूपित कर देने के उपरांत आवेदक का यह आक्षेय निराधार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके पक्ष को अनदेखा किया गया है।

उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो बंटान हुआ है, उसमें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही में उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त

अवसर प्रदान किया गया है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि के बंटान में आवेदक कैसे प्रभावित है, यह वह स्पष्ट नहीं कर सका है। यदि प्रश्नाधीन भूमि उसके स्वामित्व की है, तो पहले भू-अभिलेख में अपने नाम की प्रविष्टि करानी चाहिए। अत: इस संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर